

1 संसद में विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सीय और अन्य सुविधा) नियम, 1977

सां0 का0, नि0 665 (अ) - केन्द्रीय सरकार, संसद में विपक्षी नेता और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम** - इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद में विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सीय और अन्य सुविधा) नियम, 1977 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो:-

(i) "अधिनियम" से संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 (1977 का 33) अभिप्रेत है;

(ii) "वास्तविक यात्रा खर्च" से अभिप्रेत है विपक्षी नेता और उसके सेवकों की यात्रा का वास्तविक खर्च और इसमें उसके निजी सामान के परिवहन का खर्च सम्मिलित है, किन्तु होटल, यात्री - बंगलों या जलपान, अथवा भण्डार को लाने ले जाने, या सवारी सा ऐसी आनुषंगिक हानियों या व्ययों, जैसे क्राकरी का टुटना-फुटना, फर्नीचर की टूट-फूट और अतिरिक्त सेवकों के नियोजन के लिए प्रभार सम्मिलित नहीं है;

(iii) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है, नियम 16 के सम्बन्ध में के सिवास, विपक्षी नेता के साथ रहने वाली उसकी पत्नी और उसके साथ रहने वाली तथा पूर्णतया उस पर आश्रित धर्मज सन्तान और सौतेली सन्तान।

स्पष्टीकरण 1 - इन नियमों के प्रयोजनार्थ कुटुम्ब में एक से अधिक पत्नी सम्मिलित नहीं है;

स्पष्टीकरण 2 - यदि विपक्षी नेता विवाहिता स्त्री है तो "कुटुम्ब" में उसके साथ रहने वाला और पूर्णतया उस पर आश्रित उसका पति सम्मिलित है;

(iv) "प्रथम श्रेणी का डिब्बा" से अभिप्रेत है दो बर्थ या चार बर्थ वाला प्रथम श्रेणी का डिब्बा या एक वातानुकूलित कुप या किसी वातानुकूलित दो टियर शयन - यान में चार बर्थ;

(v) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(vi) "यात्रा भत्ता" से ऐसा भत्ता अभिप्रेत है जो उन व्ययों का, जो वह ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में यात्रा करने में करता है, न कि व्यय जो व्यक्तिगत हित में या उस दल के हित में जिसका वह सदस्य है या विश्राम अथवा स्वास्थ्य सुधार के लिए की गई यात्राओं जैसे निजी प्रयोजन के लिए या दल की बैठकों में उपस्थित होने के लिए या निर्वचन अभियान के लिए करे।

3. **निवास का आकार** - विपक्षी नेता को एक ऐसा निवास आबंटित किया जाएगा जिसका मानक किराया, या यदि किराये पूल कर लिए गए हैं तो मूल नियम 45-क के उपबन्धों के अनुसरण में संगणित पूलित मानक किराया, यथासंभव, 650 रूपय प्रतिमास में अधिक न हो।

4. **फर्नीचर और वैधुत साधित्र** - (1) अधिनियम की धारा 4 के अधीन आबंटित निवास में जिस फर्नीचर और जिन विधुत साधित्रों की किरायामुक्त व्यवस्था की गई है उन का मूल्य अड़तीस हजार पांच सौ रूपय से अधिक नहीं होगा।

¹ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 - खण्ड (3) उपखण्ड (1) दिनांक 1.11.1977 में प्रकाशित ।

(2) ऐसे निवासों में जिस फर्नीचर या जिन वैद्युत साधित्रों की उपनियम (i) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक मात्रा में व्यवस्था की गई है उनके लिए विपक्षी नेता उन दरों पर, जो सरकारी सेवकों को लागू है किराया देने, और साथ ही विभागीय प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

5. विपक्षी नेता की मृत्यु के पश्चात् निवास के लिए कुटुम्ब द्वारा किराये का दिया जाना - जहां विपक्षी नेता की मृत्यु के पश्चात् उसका कुटुम्ब उस निवास को अधिभोग में रखे रखता है जो उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व उसके अधिभोग में था वहां इस अधिनियम की धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि की बाबत कुटुम्ब से किराया, मूल नियम 45-क के उपबन्धों के अनुसार, या यदि किरायों को पूल लिया गया है तो मूल नियम 45-क के अधीन पूलित मानक किराया लिया जाएगा।

6. अधिक ठहरने की अवधि के लिए किराया - जहां विपक्षी नेता, जब वह ऐसा नेता नहीं रह जाता तब, अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् निवास को अधिभोग के में बनाए रखता है वहां, वह अधिक ठहरने की अवधि के लिए मूल नियम 45-ख के उपबन्धों के अनुसार संगणित किराया, पूरे पूरे विभागीय प्रभारों सहित, या यदि किरायों को पूल कर लिया गया है तो मूल नियम 45 - क के अधीन पूलित मानक किराया, इनमें से जो भी अधिक हो, देने का दायी होगा।

7. फर्नीचर और फिटिंगो की तालिका - विपक्षी नेता को आबंटित निवाय में दिए गए फर्नीचर, फिटिंगों और वैद्युत साधित्रों की एक तालिका, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए अनुदेशों के अनुसार, तैयार की जाएगी और समय-समय पर सत्यापित की जाएगी।

8. पद-ग्रहण और पद-त्याग के लिए यात्रा-भत्ता - (1) विपक्षी नेता, अधिनियम की धारा 5 के खंड (क) के उपखंड (i) और (ii) के अधीन की गई यात्राओं के लिए, उसके मापमान के अनुसार यात्रा भत्ते का हकदार होगा जो प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के सेवकों को स्थानान्तरण पर तत्समय अनुज्ञेय हो किन्तु इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए होगा कि रेल द्वारा की गई यात्राओं की बाबत विपक्षी नेता और उसके कुटुम्ब के सदस्य वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर सकेंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन यात्रा भत्ता लेने के स्थान पर विपक्षी नेता, अपने विकल्पानुसार, निम्नलिखित शर्तों पर रेल द्वारा यात्रा कर सकेगा :-

(क) ऐसा कोई स्थान, जिसे वह पद-ग्रहण करने के पश्चात् अध्यपेक्षा करके, आरक्षित कराने का हकदार होगा, यदि साध्य हो तो, उसकी सुपर्दगी में दे दिया जाएगा;

(ख) आरक्षित स्थान का वहन-प्रभार सरकार द्वारा अदा किया जाएगा; और

(ग) विपक्षी नेता सरकार को उतना भाड़ा देगा, जितना उसने तब दिया होता जब स्थान आरक्षित न किया जाता, और इसके अतिरिक्त उस स्टेशन के, जहां से यात्रा आरम्भ होती है, स्टेशन मास्टर को, अपने साथ यात्रा करने वाले अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य का, चाहे वह उसके आरक्षित स्थान का उपयोग करे या न करे, भाड़ा नकद देगा। ऐसे सभी भाड़े सरकार के नाम जमा किए जाएंगे।

9. कर्तव्य पर रहने के समय यात्रा भत्ता - विपक्षी नेता द्वारा ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए दौरों के लिए -

(क) वह अध्यपेक्षा करके प्रथम श्रेणी का डिब्बा, अपने विकल्पानुसार, आरक्षित करा सकेगा, या प्रथम श्रेणी के डिब्बे में एक ही बर्थ लेकर यात्रा कर सकेगा।

(ख) वह नियमित विमान सेवा में विमान से यात्रा कर सकेगा और ऐसी यात्रा के लिए अपने द्वारा दिया गया विमान भाड़ा (सिवाए तब के जब भाड़ा सरकार द्वारा सीधे कम्पनी को दे दिया जाए) वसूल कर सकेगा;

(ग) (i) जब सरकारी परिवहन में या अनयथा, सड़क से या स्टीमर से यात्रा की जाए तब, वह अपने बिल के साथ प्ररूप-1 में प्रमाण-पत्र लगा कर अपना वास्तविक यात्रा व्यय वसूल कर सकेगा।

(ii) जब अपनी निजी कार में सड़क से यात्रा की जाए तब, वह उपखंड (1) से अधीन अनुज्ञेय वास्तविक यात्रा व्यय के बदले, अपने विकल्पानुसार, बत्तीस पैसे प्रति किलोमीटर की दर से मील-भत्ता ले सकेगा।

10. **अन्य व्यक्तियों और सेवकों का वाहन** - (1) विपक्षी नेता, जब वह ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में यात्रा करे तब, बिना संदाय किए हुए, -

(क) प्रथम श्रेणी के डिब्बे में अपने साथ एक सम्बन्धी को ले जाने; और

(ख) दो निजी सेवकों के लिए स्थान प्राप्त करने, का हकदार है।

(2) विपक्षी नेता के साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति जो उपनियम (1) में, उल्लिखित सम्बन्धी से भिन्न हो, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी का टिकट, या, वालानुकूलित श्रेणी का टिकट खरीद कर रेलवे को प्रायिक भाड़ा अदा करेगा और ऐसे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में की गई यात्रा की बाबत यात्रा भत्ते के प्रत्येक बिल में विपक्षी नेता उन व्याक्तियों की, जिन्होंने उसके साथ यात्रा की हो, संख्या विनिर्दिष्ट करेगा और प्ररूप 2 में एक प्रमाणपत्र देगा।

(3) जब कभी विपक्षी नेता अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई यात्रा करता है तब, वह अपने विकल्पानुसार, या तो अपने निजी सचिव को या वैयक्तिक सहायक के सरकार के व्यय पर अपने साथ ले जा सकेगा; परन्तु विपक्षी नेता के निजी सचिव या वैयक्तिक सहायक को, जब कभी विपक्षी नेता इसे पूरे रूप से अर्जेंट और आवश्यक समझे तब, विमान द्वारा यात्रा करने के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी।

11. **दैनिक भत्ता** - (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विपक्षी नेता स्थान-स्थान पर ठहरने के कारण ²भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय दर से दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा, परन्तु यह तब जब वह दौरे के प्रारम्भ से 24 घंटों के भीतर अपने मुख्यालय को न लौटे।

स्पष्टीकरण 1 - इस उपनियम के अधीन अनुज्ञेय दैनिक भत्ते की गणना ठहरने की अवधि के आधार पर की जाएगी जो उस समय से आरम्भ होगी जब आगे की यात्रा ठहरने के वास्तविक स्थान पर समाप्त होती है और उस समय समाप्त होगी, जब वहां से वापसी की या आगे की यात्रा आरम्भ हो। ऐसी गणनाएं निम्न प्रकार से की जाएगी -

- | | |
|--|-----------------|
| (1) छह घंटे तक ठहरने के लिए | कुछ नहीं |
| (2) छह घंटों से अधिक किन्तु 12 घंटों से अनाधिक तक ठहरने के लिए | आधा दैनिक भत्ता |

² भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 - खण्ड 3 - उपखण्ड (1) दिनांक 15.5.1996 में प्रकाशित सा. का. नि. 211 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित (संसदीय कार्य मंत्रालय संख्या फा. 14(1)/96-डब्ल्यू. एस. दिनांक 14.5.1996)

- | | | |
|-----|--|--|
| (3) | 12 घंटों से अधिक किन्तु 24 घंटों से अनाधिक तक ठहरने के लिए | पूरा दैनिक भत्ता |
| (4) | 24 घंटों से अधिक ठहरने के लिए | प्रत्येक 24 घंटे तक ठहरने के लिए एक दैनिक भत्ता । 24 घंटों के किसी अंश के लिए, ठहरने की समाप्ति पर, दैनिक भत्ते की गणना, यथास्थिति, उपर्युक्त प्रविष्टि (1), (2) या (3) के अनुसार की जाएगी । |

स्पष्टीकरण 2 - यदि विपक्षी नेता अपने दौरे के दौरान एक से अधिक स्टेशनों पर ठहरता है तो प्रत्येक सतत ठहराव, इस उपनियम के अधीन, दैनिक भत्ते के लिए अलग-अलग अर्हक होगा, परन्तु एक ही दिन को विभिन्न स्टेशनों पर ठहरने के लिए कुल मिलाकर एक से अधिक दैनिक भत्तों की अनुज्ञेय नहीं दी जाएगी ।

- (2) दस दिन से अधिक के दौरे पर प्रत्येक सतत ठहराव के लिए दैनिक भत्ता -
- (i) प्रथम दस दिनों के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दर से
- (ii) बाद के बीस प्रथम दस दिनों के लिए उन दरों की तीन-चौथाई दर से और
- (iii) तत्पश्चात उन दरों की आधी दर से, अनुज्ञात होगा।

टिप्पण - दौरे पर के ठहराव को सतत ठहराव के रूप में समझा जाएगा जब तक कि ठहरने के स्थान से 8 कि० मी० से अधिक की दूरी पर कम से कम सात निरन्तर रातों तक अनुपस्थिति के कारण ठहराव समाप्त न हो गया हो।

12. **राजकीय अतिथि के रूप में रहने पर भत्ता** - जब विपक्षी नेता को, ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी स्थान पर जाने पर वहां ठहरने की अवधि के दौरान राजकीय अतिथि के रूप में माना गया हो और उसके लिए राज्य के व्यय पर निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था की गई हो, तब यदि वह दैनिक भत्ता लेता है तो, उसे, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम पूरे भत्ते के अधीन रहते हुए, अपने वास्तविक व्यय तक सीमित करेगा।

13. **भारत से बाहर की यात्रा** - (1) जहां विपक्षी नेता ऐसे विपक्षी नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत से बाहर की कोई यात्रा करता है। वहां, वह ऐसी यात्रा की बाबत निम्नलिखित यात्रा तथा अन्य भत्तों का हकदार होगा, अर्थात् :-

(क) (i) **यात्रा भत्ता** - विपक्षी नेता द्वारा भारत में की गई यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता नियम 9 के अनुसार विनियमित होगा।

(ii) **मार्ग व्यय** - भारत से बाहर की गई यात्रा के लिए, भारत में स्थित अन्तिम विमानरोहण या पोतारोहण पतन से विदेश में उसके गन्तव्य स्थान तक, और वहां से वापसी के लिए, वायु एवं रेल यात्राओं में प्रथम श्रेणी के वायु एवं रेल एवं समुद्र मार्ग के निःशुल्क वापसी मार्ग व्यय (पैसेज) की, और समुद्र मार्ग से यात्रा करने में प्रथम श्रेणी-सी ग्रेड या किसी निम्नतर श्रेणी से, जिसमें विपक्षी नेता वस्तुतः यात्रा करता है, मार्ग - व्यय की व्यवस्था की जाएगी।

(iii) **सामान** - विपक्षी नेता अपने साथ 40 किलोग्राम से अधिक सामान, जिसमें विमान परिवहन कम्पनियों द्वारा अनुज्ञात निःशुल्क ले जाए जाने वाला सामान सम्मिलित है, ले जा सकता है।

(ख) **दैनिक भत्ता** - (1) विदेश में अपने कार्य के सम्बंध में काम के स्थान पर बिताई गई रातों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार के वर्ग 1 के अधिकारी को यथा - अनुज्ञेय दैनिक भत्ता, समय समय पर विदेश मंत्रालय द्वारा विहित दरों के अनुसार, दिया जाएगा।

(ii) रेल से की गई यात्रा की अवधि के दौरान दैनिक भत्ते का दो-तिहाई भाग और दिया जाएगा परन्तु यह तब जबकि संदत रेल-भाड़े में भोजन-व्यय शामिल न हो।

(iii) विपक्षी नेता, भारत से बाहर बिताई गई अवधि के लिए, किसी अन्य नियम के अधीन अनुज्ञेय दैनिक भत्तों का हकदार नहीं होगा।

(ग) **अन्य व्यय** - विपक्षी नेता निम्नलिखित का हकदार होगा -

(i) मार्ग में विवशतः ठहर जाने के कारण, जहां विमान कम्पनियां भोजन तथा आवास व्यवस्था नहीं करती, वहां, निःशुल्क भोजन और आवास व्यय, जो ठहरने के स्थान पर अनुज्ञेय अधिकतम दैनिक भत्ते तक सीमित रहेगा;

(ii) पारपत्र फीस और चेचक तथा हैजे के टीके के प्रमाण- पत्र पर उपगत वास्तविक व्यय, रसीदें प्रस्तुत करने पर;

(iii) ड्युटी पर उपगत आनुषंगिक व्यय जैसे बखशीस, टैक्सी-भाड़ा और कैब-भाड़ा, आवश्यक वाउचर प्रस्तुत करने पर;

परन्तु जहां उपगत वास्तविक या आनुषंगिक व्यय की रसीदें या वाउचर उपलब्ध न हों, वहां व्यय की प्रतिपूर्ति विपक्षी नेता के इस आशय के प्रमाणपत्र के आधार पर की जाएगी कि वह वस्तुतः किया गया था।

(2) विपक्षी नेता, जो उप-नियम (1) (ग) के अधीन वास्तविक या आनुषंगिक व्ययों का दावा करता है, प्ररूप 3 में प्रमाणपत्र देकर अपने दावे की पुष्टि करेगा।

14. **विपक्षी नेता की मृत्यु पर उसके कुटुम्ब द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा-व्यय** - विपक्षी नेता की मृत्यु हो जाने पर, उसके कुटुम्ब के सदस्य दिल्ली से दिल्ली के बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान तक की गई यात्रा के लिए उसी दर पर यात्रा-व्यय के हकदार होंगे जो प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में तत्समय उसके कुटुम्ब को अनुज्ञेय है:

परन्तु यह तब जब विपक्षी नेता के कुटुम्ब द्वारा यात्रा उसकी मृत्यु से छह मास के भीतर की जाए।

15. **अग्रिम धन** - विपक्षी नेता निम्नलिखित का हकदार होगा -

(क) (i) पद-भार ग्रहण करने के लिए दिल्ली के बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान से, और

(ii) पद छोड़ने पर दिल्ली से, दिल्ली के बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान तक अपनी यात्रा और अपने कुटुम्ब के सदस्यों की यात्रा के लिए यात्रा भत्तों का अग्रिम-धन और अपने कुटुम्ब की चीज-बस्त को भेजने के लिए व्यय का अग्रिम-धन ।

(ख) ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए दौरों के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का अग्रिम-धन ।

16. **चिकित्सीय परिचर्या और उपचार** - (1) विपक्षी नेता और उसके कुटुम्ब के सदस्य, अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1954 के अधीन अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को लागू मापमान और शर्तों पर निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की सुविधायें प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

(2) जब विपक्षी नेता, ऐसे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत से बाहर किसी देश को प्रस्थान करता है तब वह ऐसी चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की सुविधायें निःशुल्क पाने का हकदार होगा जैसी उस स्थान के भारतीय मिशन में प्रधान को अनुज्ञेय है ।

टिप्पण - इस नियम के प्रयोजन के लिए कुटुम्ब का वही अर्थ होगा जो सुसंगत चिकित्सीय परिचर्या नियमों में उसे दिया गया है ।

17. **टेलीफोन सुविधाएं** - ³(1) विपक्षी नेता, संसद सदन, नई दिल्ली के अपने कार्यालय में और नई दिल्ली/दिल्ली के अपने निवास स्थान पर टेलीफोन लगवाने और उसके अनुरक्षण का हकदार होगा। टेलीफोन के किराए अथवा विपक्षी नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपने द्वारा किए गए स्थानीय कालों और ट्रंक कालों के लिए उसके कोई प्रभार नहीं देने होंगे।

⁴(2) (क) उपनियम (1) के उपबन्धों पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विपक्षी नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रायिक निवास-स्थान पर या उसके द्वारा चयन किए गए ऐसे किसी स्थान पर, जो उस राज्य के भीतर, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है अथवा उस राज्य के भीतर जिसमें वह निवास करता है, स्थित हो, संसद के सदस्य के रूप में अपनी हैसियत में टेलीफोन कनेक्शन का हकदार होगा और उस टेलीफोन को लगवाने और उसके किराए के लिए उसे कोई प्रभार नहीं देने होंगे।

(ख) विपक्षी नेता को एक वर्ष में उपनियम (2) के खंड (क) के अधीन लगाए गए टेलीफोन से की गई प्रथम ⁵"पचास हजार" स्थानीय कालों के संबंध में कोई संदाय नहीं करना होगा।

(ग) विपक्षी नेता को एक वर्ष में ⁵"पचास हजार" स्थानीय कालों के धन तक ट्रंक काल बिलों को समायोजित करने की अनुज्ञा होगी:

परंतु जहां टेलीफोन सपाट दर एक्सचेंज में है वहां विपक्षी नेता को उस टेलीफोन से की गई कालों के लिए प्रभारों का ⁵"पच्चीस हजार" स्थानीय कालों के विस्तार तक समायोजन करने की अनुज्ञा होगी।

18. सचिवीय सहायता - (1) विपक्षी नेता निम्नलिखित सचिवीय सहायता पाने का हकदार होगा :-

⁶ (क) निजी सचिव	1
(ख) अपर निजी सचिव	2
(ग) सहायक निजी सचिव	2
(ध) प्रथम वैयक्तिक सहायक	1
(इ) द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1
(च) हिन्दी आशुलिपिक	1
(छ) लिपिक	1

³ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 - खण्ड 3 - उपखण्ड (i) दिनांक 17.8.1990 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 14(2)/89-डबल्यू एस. सा. का. नि. 715 (अ) द्वारा पुनः संख्यांकित।

⁴ उक्त सा. का. नि. 715 (अ) द्वारा अन्तःस्थापित।

⁵ भारत के असाधारण राजपत्र भाग - 2, खण्ड - 3 उपखण्ड (i) दिनांक 23.02.1999 में प्रकाशित सा. का. नि. 87 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

⁶ उक्त सा. का. नि. 715 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ज) जमादार	1
(झ) चपरासी	4

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित पदों की वही प्रास्थिति और वेतन होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अधीन मंत्रिमंडल के मंत्री के वैयक्तिक कर्मचारीवृन्द के तत्समान पदों को लागू होते हैं।

⁷18.क **स्टाफ कार चालक** - (1) जहां विपक्षी नेता को किसी अवधि के लिए सुरक्षा के प्रयोजनों से या अन्यथा स्टाफ कार उपलब्ध कराई जाती है, वहां वह ऐसी अवधि के लिए किसी स्टाफ कार चालक के लिए भी हकदार होगा।

(2) स्टाफ कार चालक के पद की वही हैसियत और वेतनमान होगा जो केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी मंत्रिमंडल मंत्री में निजी स्टाफ में तत्समान पद को लागू होता है।

⁸18.ख पदमुक्त होने के पश्चात् कर्मचारिवृन्द का बनाए रखना - विपक्षी नेता द्वारा पदत्याग कर दिए जाने पर नियम 18 के उपनियम (1) और नियम 18क में वर्णित पदों के सामने नियुक्त व्यक्ति पन्द्रह दिन से अनधिक कालावधि तक अपने पदों को धारण करते रहेंगे। तत्पश्चात् यदि पदावरोही विपक्षी नेता द्वारा अपेक्षित हो तो उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों में से किन्हीं दो को उसके पद का परिसमापन करने के लिए एक और पन्द्रह दिन तक बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

19. **सवारी भत्ता** - विपक्षी नेता को अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञय सवारी भत्ते का संदाय प्ररूप 4 में प्रमाण-पत्र पेश करने पर किया जाएगा।

20. **निर्वचन** - यदि इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उठता है ता वह केन्द्रीय सरकार को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

प्ररूप 1

[नियम 9 का खंड (ग) (1) देखिए]

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने इस बिल की रकम का संदाय वास्तव में कर दिया है और यह कि इसमें मेरे वैयक्तिक सामान से भिन्न किसी सामग्री या माल के भाड़े संबंधी कोई प्रभार या जलपान, होटल या यात्री-बंगले के लिए कोई प्रभार सम्मिलित नहीं है।

⁷ 1.10.1990 से प्रवृत्त आधिसूचना संख्या 14(2)/89, का.अ0 दिनांक 8.5.1991 भारत के असाधारण राजपत्र भाग II - खण्ड - 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 8.5.1991 में प्रकाशित सा.का.नि. 269 (अ) द्वारा अन्तःस्थापित ।

⁸ अधिसूचना संख्या फा. 14(1)/91, का.अ. दिनांक 25.10.1991 भारत के असाधारण राजपत्र भाग II - खण्ड - 3 उपखण्ड (i) दिनांक 31.10.1991 में प्रकाशित सा.का.नि. 656 (अ) द्वारा अन्तःस्थापित ।

प्ररूप 2
[नियम 10(2)]
प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे साथ किसी व्यक्ति ने आरक्षित डिब्बे में यात्रा नहीं की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक ने मेरे साथ आरक्षित स्थान में यात्रा की है और उसने वस्तुतः उस श्रेणी का टिकट खरीदा जिसका वह हकदार है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे एक संबंधी ने जैसा कि प्राथिमृत है बिना कोई भाड़ा दिए हुए मेरे साथ आरक्षित स्थान में यात्रा की है।
4. प्रमाणित किया जाता है कि-अतिरिक्त व्यक्ति/व्यक्तियों ने मेरे साथ आरक्षित स्थान में यात्रा की है और उन्होंने आवश्यक प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित श्रेणी के टिकट खरीदे थे।

(टिप्पण - जो पैसे लागू न हो उन्हें काट दे।)

प्ररूप 3
[नियम 13]
प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि पासपोर्ट फीस/हैजे के टीके और चेचक के टीके के प्रमाण-पत्र पर किए गए व्यय शिष्टमंडल के कार्य में हित में थे और यह कि टैक्सी के किराये आदि की दरें वर्तमान दरों के अनुसार हैं और इन मदों पर किया गया व्यय उचित था।
2. प्रमाणित किया जाता है कि बिल में सम्मिलित बखशीश मदे किया गया व्यय वस्तुतः उपगत व्यय से अधिक नहीं है।

⁹ प्ररूप 4
[नियम 19]
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने विपक्षी नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में के मास के दौरान सवारी पर रु0 से अन्यून का व्यय उपगत किया है और साथ ही मुझे उक्त अवधि के दौरान सुरक्षा के कारणों से या अन्यथा स्टाफ कार उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

सं0 एफ0 14(2)/89 का. अ.

⁹ उक्त सा.का.नि.269 (अ) दिनांक 8.5.1991 द्वारा प्रतिस्थापित ।